



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)  
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-[budgethodpwd@gmail.com](mailto:budgethodpwd@gmail.com)

पत्रांक:- 233 / 25 बजट (प्रतिकर भुगतान-रा0से0)/2018-19  
सेवा में,

दिनांक:- 07.07.2018

मुख्य अभियन्ता स्तर- I / स्तर- II,

क्षेत्रीय कार्यालय,

लो0नि0वि0, देहरादून / नई टिहरी / पौड़ी / पिथौरागढ़ / ~~दण्डनी~~।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक-5054 (पूँजीगत) सड़क/भवन एवं सेतुओं के भूमि प्रतिकर, भू-अर्जन तथा क्षति प्रतिकर भुगतान हेतु आवंटन।

सन्दर्भ: शासनादेश संख्या-1502 / III (2) / 18-02 (बजट) / 2018 दिनांक-09.04.2018

उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक-505404337040024 (पूँजीगत) सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण मद में ₹ 30.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। योजनान्तर्गत शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वर्तमान में उपलब्ध धनराशि तथा फील्ड अधिकारियों से प्राप्त विभिन्न प्रकरणों में भू-अर्जन, भूमि प्रतिकर भुगतान तथा क्षतिप्रतिकर भुगतान हेतु सूचित धनावंटन की माँग के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में संलग्न सूचीनुसार प्रकरणवार/खण्डवार (30 प्रकरण) कुल ₹ 7.2359354 करोड़ (₹ सात करोड़ तेईस लाख उनसठ हजार तीन सौ चौवन मात्र) की धनराशि निम्नवर्णित शर्तों के अन्तर्गत आवंटित की जाती है।

आवंटन की शर्तें (1) संलग्न सूचीनुसार आवंटित धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा प्रतिकर/मुआवजे/फसल/फलदार वृक्षों की क्षतिप्रतिकर का भुगतान जिलाधिकारी/उद्यान विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर सम्बन्धित पक्षों को दिनांक 28.02.2019 से पूर्व नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा संलग्न सूचीनुसार प्रकरणवार/खण्डवार आवंटित भू-अर्जन/भूमि प्रतिकर/क्षति प्रतिकर धनराशि का भुगतान सम्बन्धित काश्तकारों/पक्षकारों के पक्ष में नियमानुसार एवं अविलम्ब न किये जाने तथा आवंटित धनराशि का भुगतान सम्बन्धित काश्तकारों/पक्षकारों को विलम्ब से किये जाने के फलस्वरूप यदि सम्बन्धित काश्तकारों/पक्षकारों द्वारा संशोधित दरों अर्थात् बढ़ी हुई दरों के आधार पर प्रतिकर भुगतान की जाती है तो संशोधित वृद्धि हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्णतः उत्तरदायी माने जायेंगे, तथा अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा अनुमोदित सम्मिलित काश्तकारों को उनके नाम के सम्मुख देय भूमि प्रतिकर धनराशि का भुगतान आवश्यक जॉच-परीक्षण एवं सत्यापन के उपरान्त ही नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा संलग्न सूचीनुसार प्रकरणवार/खण्डवार आवंटित धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आवंटित धनराशि का प्राविधान सम्बन्धित कार्यों/मार्गों के मूल आगणन में सम्मिलित नहीं था और न ही उक्त प्रतिकर भुगतान हेतु किसी अन्य योजना/मद में सम्बन्धित प्रतिकर भुगतान के लिये वित्तीय उपलब्धता थी।

(4) आवंटित धनराशि का निर्धारित समयान्तर्गत भुगतान न किये जाने, धनराशि लैप्स किये जाने, डुप्लीकेट भुगतान, दरों से अधिक भुगतान तथा नियमविरुद्ध किये गये भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

(5) संलग्न सूचीनुसार वर्णित कार्य वर्तमान में किन्हीं कारणों से अन्यत्र खण्ड में हस्तान्तरित हो गये हो अथवा इन कार्यों में प्रतिकर का भुगतान पूर्व में किया जा चुका हो तो आवंटित धनराशि पूर्ण विवरण सहित एक सप्ताह के अन्तर्गत इस कार्यालय को तत्काल वापस कर दी जाय, ताकि यह धनराशि सम्बन्धित खण्ड अथवा अन्य प्रकरणों में आवंटित की जा सके।

(6) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन कर लिया जायेगा।

(7) उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 में निहित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-22, लेखाशीर्षक 5054 सड़कों एवं सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-04 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण 00-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

संलग्न: कार्यवार/खण्डवार आवंटन सूची (3 पृष्ठ)

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो0ओ0-सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।
- 2- अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 3- जिलाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी/नई टिहरी/चमोली/रूद्रप्रयाग/पौड़ी/पिथौरागढ़।
- 4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. उत्तराखण्ड देहरादून। साख-सीमा जारी करने हेतु।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता ..... वृत्त लोक निर्माण विभाग .....।
- 6- वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, (नोडल, वनभूमि प्रकरण/भूमि अध्याप्ति) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 देहरादून।
- 7- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग .....।
- 8- आई0टी0 सेल कार्या. प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. देहरादून को सूचनार्थ एवं विभागीय ऑनलाईन वेबसाईट में अपलोड कराये जाने हेतु।

संलग्न: कार्यवार/खण्डवार आवंटन सूची (3 पृष्ठ)

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

1. T  
Up load करे  
10.07.18

(देवेन्द्र शाह)  
अधिशासी अभियन्ता

10  
7.7.2018

पत्र संख्या /25 बजट (प्रतिकर भुगतान-सोसे0)/2018-19 दिनांक /07/2018 का संलग्नक।  
 वित्तीय वर्ष 2018-19 में सड़कों तथा सेतुओं के भूमि प्रतिकर, भू-अर्जन एवं क्षति प्रतिकर आदि के भुगतान हेतु आवंटन।  
 अनुदान संख्या- 22, लेखाशीर्षक 5054-04-337-04-00-24 (पूँजीगत)

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	मार्ग / प्रकरण का नाम	खण्ड का नाम	अनुमोदन / स्वीकृति का संदर्भ	अधीक्षण अनुमोदित लागत	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			
					पूर्व आवंटन	अब आवंटन	कुल आवंटन (क्र. 6+7)	
1	कैन्द्रीय सड़क निधि (सी0आर0एफ0) के अन्तर्गत जनपद देहरादून में जौलीग्रान्ट-थार्न- रायपुर सहस्रधारा मोटर मार्ग के किमी0 14 में 75 मी0 लम्बाई में आ0सी0सी0 सेतु निर्माण के पट्टे मार्ग में आने वाली भूमि का प्रतिकर भुगतान। (3 कारस्तकारों हेतु)	2	3	4	5	6	7	8
1	मालदेवला से राडगांव-गंधकपानी मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में आने वाली भूमि का प्रतिकर भुगतान (5 कारस्तकारों हेतु)	अ0ख0 ऋषिकेश	अधीक्षण अभियन्ता, नवों वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र संख्या 3994/15 (1) सी0-9/18 दि0 25.06.2018	40.63736	0.00000	40.63736	40.63736	40.63736
2	जनपद उत्तरकाशी में सिलकथारा-बनगांव-बापड़ा-सरोट मोटर मार्ग के किमी0 28 से 30 में मोटर मार्ग के सुधार कार्य से क्षतिग्रस्त भूमि / फसल का प्रतिकर भुगतान।	अ0ख0 ऋषिकेश	अधीक्षण अभियन्ता, नवों वृत्त लो0नि0वि0 देहरादून का पत्र संख्या 3994(1)/15 (1) सी0-9/18 दि0 25.06.2018	64.29500	0.00	64.29500	64.29500	64.29500
3	जनपद उत्तरकाशी में उड़खोला जिल्हा टण्डोल मोटर मार्ग के देवीधार से रमोली बदावला मोटर मार्ग में विगत वर्ष अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान।	नि0ख0 विन्ध्यालीसौड	अधीक्षण अभियन्ता, छठवों वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 485/90 सी0-06/2018 दि0 22.03.2018	0.63865		0.63865	0.63865	0.63865
4	जनपद उत्तरकाशी में उड़खोला जिल्हा टण्डोल मोटर मार्ग के देवीधार से रमोली बदावला मोटर मार्ग में विगत वर्ष अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान।	नि0ख0 विन्ध्यालीसौड	अधीक्षण अभियन्ता, नि0ख0 लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 511/2 एल0ए0 दिनांक 01.05.2018	33.81143		33.81143	33.81143	33.81143
5	जनपद उत्तरकाशी में एच0आर0टी0 से जसपुर मोटर मार्ग में विगत वर्ष अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान।	नि0ख0 विन्ध्यालीसौड	अधीक्षण अभियन्ता, छठवों वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 2195/97 सी-06/2018 दि0 20.05.2018	27.08513		27.08513	27.08513	27.08513
6	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में उत्तरकाशी-यनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग के किमी0 5 से 14 तक अवशेष भू एंव मोटर मार्ग के भू-धसाव मोटर मार्ग निर्माण से क्षतिग्रस्त भूमि का प्रतिकर भुगतान।	प्रान0ख0 भटवाड़ी	अधीक्षण अभियन्ता, छठवों वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 1957/86 सी0-06/2018 दि0 03.05.2018	40.22305	0.00000	40.22305	40.22305	40.22305
7	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी में विश्व बैंक खण्ड पोषित योजना के अन्तर्गत ग्राम गंगाड में सुपिन- बड़ासू नदी पर 70 मी0 स्पान के झूला सेतु निर्माण हेतु अधिग्रहित नापभूमि का प्रतिकर भुगतान।	नि0ख0 पुरोला	अधीक्षण अभियन्ता, छठवों वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 1957/86 सी0-06/2018 दि0 03.05.2018	1.90948		1.90948	1.90948	1.90948
8	जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी के अन्तर्गत मोरी नैटवाड सांकरो मो0 मार्ग के किमी0 20 से आगे सांकरो तक परिवर्तित समरक्षण मोटर मार्ग निर्माण में भूधसाव के कारण क्षतिग्रस्त वृक्षों का प्रतिकर भुगतान।	नि0ख0 पुरोला	अधीक्षण अभियन्ता, छठवों वृत्त लो0नि0वि0 उत्तरकाशी का पत्र संख्या 1554/86 सी0-06/2018 दि0 17.05.2018	4.98482		4.98482	4.98482	4.98482
9	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जाखणीधार-गाराकोट-पौड़ीखाल मो0 मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य से क्षतिग्रस्त भूमि का भूमि-अध्यापि एवं दवान, फसल क्षतिपूर्ति का प्रतिकर भुगतान।	प्रान0ख0 नई टिहरी	अधीक्षण अभियन्ता, आठवों वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी का पत्र संख्या 2002/161(1)सी0-8/2016 दि0 14.05.2018	12.42		12.42	12.42	12.42
10	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर में ओनालगांव से कोटालगांव तक मो0 मार्ग निर्माण से प्रभावित भूमि का प्रतिकर भुगतान।	प्रान0ख0 नई टिहरी	अधीक्षण अभियन्ता, आठवों वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी का पत्र संख्या 3034/161(1)सी0-8/2016 दि0 22.05.2018	24.07		24.07	24.07	24.07
11	जनपद टिहरी गढ़वाल में राधेशार, परसारी, मल्याकोट मोटर मार्ग का नवनिर्माण (लम्बाई 5.00 किमी0) के अन्तर्गत अध्यापि भूमि का प्रतिकर भुगतान।	प्रान0ख0 नई टिहरी	अधीक्षण अभियन्ता, आठवों वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी का पत्र संख्या 3034/161(1)सी0-8/2016 दि0 22.05.2018	95.01	0.00	95.01	95.01	95.01
	योग, प्रान्तीय खण्ड नई टिहरी			131.50	0.00	131.50	131.50	131.50

